रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2009/फाल्गुन 21, 1930
No. 428] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2009/PHALGUNA 21, 1930

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2009

## आय-कर

**का.आ. 655(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात् :—

### सारणी

### विनिधान की पद्धति

| क्र. सं. | विनिधान | | स्तंभ (2) में निर्दिष्ट मदों में विनिधान किए जाने वाली रकम की अधिकतम प्रतिशतता । |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) |
| (i) | (क) | सरकारी प्रतिभूतियों में; | पचपन प्रतिशत |
| | (ख) | प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में यथा परिभाषित अन्य प्रतिभूतियां, जिनका मूल धन और उन पर ब्याज केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से और बिना शर्त के अनुदत्त की गई है, उनके सिवाय जो नीचे | |

| | | |
|---|---|---|
| | (ii) (क) के अंतर्गत नहीं आते हैं ; और /या<br><br>(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमन के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित म्यूचुअल फंड की यूनिटें । | |
| (ii) | (क) निगमित निकायों जिनके अंतर्गत बैंक और लोक वित्तीय संस्थाएं भी हैं, के द्वारा निर्गमित तीन वर्ष से अन्यून अवधि की परिपक्वता सहित ऋण प्रतिभूतियां ;<br><br>(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एक वर्ष से अन्यून अवधि की सावधि जमा प्राप्तियां जो निम्नलिखित सभी मापदंडों को पूरा करती हों:<br><br>(i) इसने ठीक पूर्व पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निरंतर लाभ प्राप्त किया है ;<br><br>(ii) यह 9 प्रतिशत के अनुपात में जोखिम आस्तियों पर न्यूनतम पूंजी बनाए हुए है;<br><br>(iii) इसकी शुद्ध अग्रिमों के दो प्रतिशत से अनधिक की शुद्ध आनिष्पादित आस्तियां हैं ; और<br><br>(iv) इसकी न्यूनतम दो सौ करोड़ रुपए से अन्यून की शुद्ध पूंजी है ; और/या<br><br>(ग) रुपये बांड जिनकी बकाया परिपक्वता कम से कम तीन वर्ष है जो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और एशियन विकास बैंक संस्थाओं द्वारा निर्गमित किए गए हैं ; | चालीस प्रतिशत |
| (iii) | धन बाजार लिखत जिनके अंतर्गत धन बाजार म्यूचुअल फंड की यूनिटें भी हैं । | पांच प्रतिशत |
| (iv) | उन कंपनियों के शेयर जिनपर मुंबई स्टाक एक्सचेंज या राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज में व्युतपन्नी उपलब्ध हैं या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंडों की इक्विटी संबद्ध योजनाएं । | पंद्रह प्रतिशत |

परंतु एक अप्रैल, 2009 से पूर्व किए गए विनिधान की परिपक्वता पर प्राप्त किन्हीं धनराशियों में से आबद्धकर जावक घटाकर इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति के अनुसार विनिहित की जाएंगी:

परंतु यह और कि इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान पद्धति गत वर्ष के अंत तक प्राप्त की जा सकेगी; तथापि, किसी प्रवर्ग में विनिधान की वर्ष के दौरान किसी भी समय विहित सीमा के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (i) में कथित विनिधानों के समानुपात को ध्यान में रखे बिना उक्त खंड के उपखंड (ग) के अधीन किसी व्यष्टिक म्युचुअल फंड के संबंध में जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में स्थापित किया गया है, किसी न्यास की अनाश्रयता किसी भी समय इसके कुल पोर्टफोलियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और भी कि न्यासी उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड (क) के अधीन विनिधानित रकम के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की रकम किसी ऐसे विनिधान में, जिनकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक उधार रेटिंग अभिकरणों में से कोई विनिधान श्रेणीकृत है, विनिधान करेगा:

परंतु यह और भी कि इस उपनियम में वर्णित किसी लिखत की रेटिंग की दशा में जिसकी रेटिंग की जानी है और नीचे विनिधान श्रेणी के अंतर्गत उनकी रेटिंग आती है जिसे उक्त सारणी के स्तंभ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक उधार रेटिंग अभिकरण द्वारा सत्यापित किया गया है, तब ऐसे लिखतों में निकासी से विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा और निगमित निधियां इस उपनियम की सारणी में उपबंधित रीति के अनुसार विनिहित की जाएंगी:

परंतु यह और भी कि आवर्त अनुपात, जो वर्ष में व्यापार की गई प्रतिभूतियों का मूल्य है जिसे वर्ष के आरंभ पर और वर्ष के अंत में पोर्टफोलियो के औसत मूल्य से विभाजित किया जाता है, दो से अधिक नहीं होगा ।

**स्पष्टीकरण-1:** इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति, गत वर्ष में निधि के विनिधान योग्य धनराशि की कुल रकम को लागू होगी ।

**स्पष्टीकरण-2:** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "सरकारी प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ग) में है;

(ii) "लोक वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ् है जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है;

(iii) "पब्लिक सेक्टर कंपनी" पद का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम, की धारा 2, के खंड 36 (क) में है;

(iv) "पब्लिक सेक्टर बैंक" पद का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23(घ) में है; और

(v) "प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, की धारा 2 के खंड (ज)में है ।

[अधिसूचना सं. 24/2009/फा. सं. 142/13/2008-टीपीएल]

मनीष सरीन, अवर सचिव

**टिप्पण :**— मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका समय-समय पर संशोधन किया गया था, अंतिम संशोधन का.आ. 220(अ) तारीख 21-1-2009 द्वारा किया गया ।